Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **बूंदी में ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *11 अक्टूबर*, मंगलवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर इन्टेलिजेन्स, कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र प्रसाद बैरागी ग्राम विकास अधिकारी एवं अर्जुनलाल चौपदार सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत डोकून, पं.स. नैंनवा, जिला बूंदी को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की इन्टेलिजेन्स, कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके मकान का पट्टा जारी करने की एवज में राजेन्द्र प्रसाद बैरागी ग्राम विकास अधिकारी एवं अर्जुनलाल चौपदार सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत डोकून, पं.स. नैंनवा, जिला बूंदी द्वारा मुझसे पूर्व में ही तीन बार में कुल **20,500 रुपये रिश्वत** के रूप में वसूल चुके हैं और अब भी उक्त दोनों आरोपियों द्वारा **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी की इन्टेलिजेन्स, कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती चन्द्रकंवर** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र प्रसाद बैरागी पुत्र श्री सोहनलाल निवासी नर्सिया कॉलोनी, देई तहसील नैंनवा, जिला बूंदी हाल ग्राम विकास अधिकारी एवं अर्जुनलाल चौपदार पुत्र श्री हजारी लाल निवासी डोकून त. नैंनवा, जिला बूंदी हाल सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत डोकून, पं.स. नैंनवा, जिला बूंदी को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।